दैनिक भास्कर
बिलासपुर 29-07-2025

महिला की मौत, अब तक नहीं मिला परिवार, हाई कोर्ट सख्त, कहा- एक माह में करें पहचान

एक माह के भीतर परिजनों का पता नहीं चलने पर मेकाहारा में जमा होगी रकम

लीगल रिपोर्टर | बिलासपुर

कैंसर पीड़िता महिला की मौत के मामले में रेलवे अब तक परिजनों का पता नहीं लगा पाया है। महिला के शव को प्लेटफॉर्म पर छोड़ दिया गया। साथ ही शव को भेजने उचित व्यवस्था नहीं की गई। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच ने रेलवे को एक माह के भीतर परिजनों का पता लगाने को कहा है। ऐसा नहीं होने पर रायपुर के मेकाहारा अस्पताल में राशि जमा करने के निर्देश दिए गए हैं।

कैंसर पीड़िता महिला की मौत हो गई थी। शव प्लेटफॉर्म पर रख दिया गया था। इस मामले पर दैनिक भास्कर में प्रकाशित खबर पर हाई कोर्ट ने संज्ञान लेते हुए जवाब तलब किया था। रेलवे ने शपथ पत्र देकर बताया कि मृतका कैंसर से पीड़ित थी और ट्रेन में मृत पाई गई थी। शव को प्लेटफॉर्म पर ही रख दिया गया। 1 लाख रुपए मुआवजा मंजूर किया गया। लेकिन मृत महिला के परिजन अब तक रेलवे को नहीं मिल पाए हैं। रेलवे ने मृतका के परिजनों का पता लगाने के लिए नगर परिषद बुढ़ार, शहडोल, मप्र के मुख्य नगर पालिका अधिकारी से संपर्क किया। साथ ही स्वास्थ्य विभाग रायपुर और बिलासपुर कलेक्टर को पत्र भेजे, लेकिन आज तक कोई जवाब नहीं मिला।

परिजन न मिले तो मेकाहारा को दें राशि

हाई कोर्ट ने मामले को गंभीर मानते हुए आदेश दिया है कि एक माह के भीतर मृतक महिला के परिजनों की तलाश की जाए। यदि ऐसा नहीं हो पाता है तो स्वीकृत राशि को रायपुर के मेकाहारा कैंसर यूनिट के खाते में जमा कराई जाए। मामले की अगली सुनवाई 28 अगस्त को होगी।

परिजन को सरकार ने दिया मुआवजा

इधर, आदिवासी व्यक्ति की मौत के मामले में नोटिस के जवाब में स्वास्थ्य सचिव ने शपथ पत्र प्रस्तुत कर बताया कि मृतक के एक परिजन जयराम कश्यप के खाते में 2 लाख रुपए 16 जुलाई को जमा कर दिए गए हैं। इस संबंध में दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए।